**प्रेस नोट संख्या - 28**

**दिनांक 16.05.2026**

**सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस**

**थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा चोरी की बकरी/बकरा बिक्री के 5500/- रुपये के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 16.05.2026 को क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 114/26 धारा 305(A) बीएनएस थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी में प्रकाश में आये 02 अभियुक्त 1.मो0 कैफ पुत्र मो0 शकील ग्राम तकिया जमुवारी थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष, 2.गुफरान पुत्र फरीद अहमद ग्राम गुलाम हैदर मजरे जाखा शिवपुर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। तलाशी से अभियुक्त मो0 कैफ के कब्जे से 3000/- रुपये एवं अभियुक्त गुफरान के कब्जे से 2500/- रुपये बरामद हुए।

पूछताछ में **अभियुक्तों ने बताया कि करीब 04 दिन पहले हम लोगों ने ग्राम गुलाम हैदर से 03 बकरी 02 बकरा चोरी किये थे। जिसे हम लोगों ने 10,000/- रूपये में बेंच दिया था। बरामद रुपये उसी बकरी बकरा बिक्री के है कुछ रुपये हम लोगों ने खर्चा कर लिये हैं।** बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुये थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–**

1. मो0 कैफ पुत्र मो0 शकील ग्रा तकिया जमुवारी थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष
2. गुफरान पुत्र फरीद अहमद ग्राम गुलाम हैदर मजरे जाखा शिवपुर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 24 वर्ष।

**बरमादगी-**

- चोरी की बकरी बकरा बिक्री के 5500/- रुपये ।

**पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

- मु0अ0सं0 114/26 धारा 305(A), 317(2) बीएनएस थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. श्री विवेक कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 रमेश चन्द्र यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
3. हे0का0 नीरज यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
4. का0 अतुल यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।